

Dated 25-6-2011

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2011

सा.का.नि. 194.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग (लाइब्रेरियन समूह 'क') भर्ती नियम, 1984 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी के पद पर भर्ती की विधि को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का नाम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी) भर्ती नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वह होगा जो कि इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—ऐसा व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुरोध है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो यह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष कार्य के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अनुसूच्य है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
-----------	----------------	----------	----------------------------------	------------------	--	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी	1* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित (अनुसूचिवीय)	15600— 39100 रु. के वेतनमान में वेतन बैंड-3, ग्रेड वेतन 5400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	35 वर्षों से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार में सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पणी : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
--	---	-------------------------------

(8)	(9)	(10)
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान अथवा सूचना विज्ञान अथवा प्रलेखीकरण विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री; और (ii) सार्वजनिक अथवा संस्थागत पुस्तकालय से 3 वर्ष का वृत्तिक अनुभव। टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार कारण में लेखबद्ध करके शिथिल की जा सकती है।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती के लिए एक वर्ष

टिप्पणी 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन सभुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की विधि, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने के लिए रिक्तियों का प्रतिशत

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनके प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाता है

(11)

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(12)

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :

केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों या कानूनी अथवा स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी -

(क)(i) जिन्होंने मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया है

(ii) जो मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड 2, वेतनमान 9300-34800 रु. और ग्रेड वेतन 4800 रुपए या समतुल्य के पदों में नियमित आधार पर इन पर नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में दो वर्ष सेवा कर चुके हों

(iii) जो मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड 2, वेतनमान 9300-34800 रु. और ग्रेड वेतन 4600 रुपए या समतुल्य के पदों में नियमित आधार पर इन पर नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष सेवा कर चुके हों

(ख) स्तंभ (8) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो।

टिप्पणी 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 2 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसका छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। सिवाय इसके जहां एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ किसी ग्रेड में एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमान का एक ग्रेड में विलय किया गया है, और जहां यह फ़ायदा के उस पद (पदों) को विस्तारित किया जाएगा, जिनके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (युक्ति का विकास करने के लिए) :-

प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1. सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग —अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव, अनुसूचित जाति विकास प्रभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय —सदस्य
3. संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग —सदस्य

[फा. सं. 17016/27/2009-एससीडी-VI]

एम. ए. मुरलीधरन, उप सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2011

G.S.R. 194.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Librarian Group "A") Recruitment Rules, 1984, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Library and Information Officer in the National Commission for Scheduled Castes namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Commission for Scheduled Castes (Assistant Library and Information Officer), Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Payp Scale	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant Library and Information Officer	1* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted (Non-Ministerial)	Pay Band-3 Rs. 15600— 39100+ Grade Pay Rs. 5400	Not applicable	Not applicable	Not exceeding 35 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.
Educational and other qualifications required for direct recruits			Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any	
(8)			(9)		(10)	
Essential :			Not applicable		One year for direct recruits	

(i) Master's Degree in Library Science or Information Science or Documentation Science from a recognised University or Institute; and

(ii) three years professional experience in a Public or Institutional Library.

Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

(8)

Note 2 : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made

(11)

Deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.

(12)

Deputation (including short-term contract) :

Officers under the Central or State Governments or Union Territory Administration or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Statutory or Autonomous Organizations :

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or

(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay Band-2 in the Pay Scale of Rs. 9300—34800 with Grade Pay of Rs. 4800 or equivalent in the parent cadre or Department; or

(iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay Band-2 in the Pay Scale of Rs. 9300—34800 with Grade Pay of Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre or Department; and

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (8).

Note 1 : Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

Note 2 : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January,

(12)

2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.

(13)

(14)

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :—

Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

- | | |
|---|-----------|
| 1. Secretary, National Commission for Scheduled Castes | —Chairman |
| 2. Joint Secretary, Scheduled Castes Development Division, Ministry of Social Justice and Empowerment | —Member |
| 3. Joint Secretary, National Commission for Scheduled Castes | —Member |

[F. No. 17016/27/2009-SCD-VI]

M. A. MURALEEDHARAN, Dy. Secy.

